

अनुदान संख्या 92 - कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय
GRANT No. 92 - MINISTRY OF SKILL DEVELOPMENT AND ENTREPRENEURSHIP

			कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत— Saving -
(हजार रुपयों में) (In thousands of rupees)					
राजस्व:	Revenue:				
स्वीकृत—	Voted-				
मूल	Original	2847,54,00	2847,55,00	1328,27,83	-1519,27,17
पूरक	Supplementary	1,00			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year				1516,08,48

पूंजीगत:	Capital:				
स्वीकृत—	Voted-		151,46,00	59,57,41	-91,88,59
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year				91,25,34

टीका और टिप्पणियां**Notes and comments**

1. अनुदान के राजस्व खंड में निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत बचत हुई :-
1. In the revenue section of the grant, savings occurred under the following major heads:-

(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)					
शीर्ष	Head				
मुख्य शीर्ष “2251”	Major Head “2251”				
सचिवालय—सामाजिक सेवाएं	Secretariat - Social Services				
मू.	O.	23447.00	20905.87	20890.00	-15.87
पु.	R.	-2541.13			
मुख्य शीर्ष “2230”	Major Head “2230”				
श्रम, रोजगार और कौशल विकास	Labour, Employment and Skill Development				
मू.	O.	171731.00	80360.55	80058.95	-301.60
पू.	S.	1.00			
पु.	R.	-91371.45			

कुल अनुदान
Total
grant

वास्तविक व्यय
Actual
expenditure

बचत—
Saving -
(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head				
मुख्य शीर्ष "2552"	Major Head "2552"				
पूर्वोत्तर क्षेत्र	North Eastern Areas				
मू.	O.	28632.00			
		
पु.	R.	-28632.00			
मुख्य शीर्ष "3601"	Major Head "3601"				
राज्य सरकारों को सहायता अनुदान	Grants-in-aid to State Governments				
मू.	O.	58199.00	31432.66	31431.44	-1.22
पु.	R.	-26766.34			
मुख्य शीर्ष "3602"	Major Head "3602"				
विधायिका वाली संघ राज्य सरकारों को अनुदान सहायता	Grants-in-aid to Union Territory Governments with Legislature				
मू.	O.	2745.00	447.44	447.44	..
पु.	R.	-2297.56			

(I) मुख्य शीर्ष "2552" के तहत एक मामले में ₹28632.00 लाख का प्रावधान पूरी तरह से अप्रयुक्त रहा; "प्रशिक्षण-प्रशिक्षुता प्रशिक्षण - प्रधान मंत्री कौशल विकास योजना" - पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ के लिए परियोजनाओं/योजनाओं पर उपयोग के लिए कार्यात्मक शीर्षों में आंशिक धनराशि के पुनर्विनियोजन और शेष राशि के अभ्यर्पण के कारण।

(I) Provision of ₹28632.00 lakhs remained wholly unutilised in one case under Major Head "2552" - "Training-Apprenticeship Training - Pradhan Mantri Kaushal Vikas Yojana" - due to re-appropriation of part funds to functional heads for utilisation on projects/schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim and surrender of the balance amount.

(II) मुख्य शीर्ष “2551” के तहत – “सचिवालय” – के तहत बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुई :-

(का) “कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय” – ₹590.72 लाख की बचत (₹3521.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) किराया बिल न मिलने और विक्रेताओं से दावे, रिक्त पदों को न भरने, कम दौरे किए जाने और अन्य स्थापना संबंधी खर्चों के लिए कम धनराशि की आवश्यकता के कारण हुई।

(खा) “प्रशिक्षण महानिदेशालय” – ₹736.38 लाख की बचत (₹3053.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान के मुकाबले) रिक्त पदों को न भरने, कम संविदा कर्मचारियों को काम पर रखने, कम दौरे करने और अन्य प्रतिष्ठानों से संबंधित खर्च के लिए कम धन की आवश्यकता के कारण हुई।

(गा) “राष्ट्रीय कौशल प्रशिक्षण संस्थान” – ₹937.00 लाख की बचत (₹16147.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कम संविदा कर्मचारियों को काम पर रखने, कम चिकित्सा दावों की प्राप्ति और सिविल कार्य प्रस्तावों की खरीद को अंतिम रूप न देने और कम दौरे किए जाने के कारण हुई।

(III) मुख्य शीर्ष “2230” के अंतर्गत – “प्रशिक्षण” – निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत बचत हुई :-

(का) “प्रशिक्षुता प्रशिक्षण – प्रधान मंत्री कौशल विकास योजना” – ₹65469.89 लाख की बचत (मार्च, 2023 में प्राप्त ₹0.75 लाख के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित ₹127357.87 लाख के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में); और

(खा) “अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना – प्रधान मंत्री कौशल विकास योजना” – ₹16846.45 लाख की बचत (मार्च, 2023 में प्राप्त ₹0.16 लाख के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित ₹29052.03 लाख के कुल स्वीकृत प्रावधान के मुकाबले)।

उपरोक्त दो शीर्षों के तहत बचत “कौशल भारत

(II) Under Major Head “2251” - “Secretariat” - savings occurred under the following heads :-

(A) “Ministry of Skill Development and Entrepreneurship” - saving of ₹590.72 lakhs (against the sanctioned provision of ₹3521.00 lakhs) was due to non-receipt of rent bills and claim from vendors, non-filling up of vacant posts, less tour undertaken and requirement of less funds towards other establishment related expenses.

(B) “Directorate General of Training” - saving of ₹736.38 lakhs (against the sanctioned provision of ₹3053.00 lakhs) was due to non-filling up of vacant posts, hiring of less contractual staff, less tours undertaken and requirement of less funds towards other establishment related expenses.

(C) “National Skill Training Institutes” - saving of ₹937.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹16147.00 lakhs) was due to hiring of less contractual staff, receipt of less medical claims, non-finalisation of procurement and civil work proposals and less number of tour undertaken.

(III) Under Major Head “2230” - “Training” - savings occurred under the following heads:-

(A) “Apprenticeship Training - Pradhan Mantri Kaushal Vikas Yojana” - saving of ₹65469.89 lakhs (against the total sanctioned provision of ₹127357.87 lakhs including token supplementary grant of ₹0.75 lakh obtained in March, 2023); and

(B) “Special Component Plan for Scheduled Castes - Pradhan Mantri Kaushal Vikas Yojana” - saving of ₹16846.45 lakhs (against the total sanctioned provision of ₹29052.03 lakhs including token supplementary grant of ₹0.16 lakh obtained in March, 2023).

Savings under the above two heads were due

कार्यक्रम” के तहत योजना की मंजूरी में प्रशासनिक देरी और परिणामस्वरूप योजना के तहत धन जारी करने में देरी के कारण हुई।

(गा) “जनजातीय क्षेत्र उप-योजना – प्रधान मंत्री कौशल विकास योजना” – ₹9356.71 लाख की बचत (मार्च, 2023 में प्राप्त ₹0.09 लाख के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित ₹15322.10 लाख के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) “कौशल भारत कार्यक्रम” के तहत योजना के अनुमोदन में प्रशासनिक देरी और इसके परिणामस्वरूप योजना के तहत धन जारी करने में देरी, कम सलाहकारों को नियुक्त करने, राज्य सरकार/केंद्रशासित प्रदेशों से प्रस्तावों की प्राप्ति में देरी और अनुमोदित परियोजनाओं में काम की धीमी प्रगति के कारण हुई।

(IV) मुख्य शीर्ष “3601” के अंतर्गत – “केंद्र द्वारा प्रायोजित योजनाएं” – बचत निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुई :-

(का) “केंद्रीय सहायता/शेयर – प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना” – ₹18820.67 लाख की बचत (₹43458.10 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में);

(खा) “अनुसूचित जाति के लिए विशेष घटक योजना-प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना” – ₹5542.24 लाख की बचत (₹9892.20 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में);

(गा) “जनजातीय क्षेत्र उप-योजना-प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना” – ₹2404.65 लाख की बचत (₹4848.70 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में); और

(V) मुख्य शीर्ष “3602” के तहत – “केंद्र प्रायोजित योजनाएं – केंद्रीय सहायता/शेयर – प्रधान मंत्री कौशल विकास योजना” – ₹1819.79 लाख की बचत (₹2154.48 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में)।

उपरोक्त चार शीर्षों के अंतर्गत बचत योजना के तहत राज्य सरकारों/संघ राज्य सरकारों से कम मांग प्राप्त

to administrative delay in approval of scheme under “Skill India Programme” and consequent delay in release of funds under the scheme.

(C) “Tribal Area Sub-Plan - Pradhan Mantri Kaushal Vikas Yojana” - saving of ₹9356.71 lakhs (against the total sanctioned provision of ₹15322.10 lakhs including token supplementary grant of ₹0.09 lakh obtained in March, 2023) was due to administrative delay in approval of scheme under “Skill India Programme” and consequent delay in release of funds under the scheme, hiring of less consultants, delay in receipt of proposals from State Govt/UTs and slow progress of work in approved projects.

(IV) Under Major Head “3601” - “Centrally Sponsored Schemes” - savings occurred under the following heads :-

(A) “Central Assistance/Share - Pradhan Mantri Kaushal Vikas Yojana” - saving of ₹18820.67 lakhs (against the sanctioned provision of ₹43458.10 lakhs);

(B) “Special Component Plan for Scheduled Castes - Pradhan Mantri Kaushal Vikas Yojana” - saving of ₹5542.24 lakhs (against the sanctioned provision of ₹9892.20 lakhs);

(C) “Tribal Area Sub-Plan - Pradhan Mantri Kaushal Vikas Yojana” - saving of ₹2404.65 lakhs (against the sanctioned provision of ₹4848.70 lakhs); and

(V) Under Major Head “3602” - “Centrally Sponsored Schemes - Central Assistance/Share - Pradhan Mantri Kaushal Vikas Yojana” - saving of ₹1819.79 lakhs (against the sanctioned provision of ₹2154.48 lakhs).

Savings under the above four heads were due to receipt of less demand from State/UT

होने और “कौशल भारत कार्यक्रम” के तहत योजना की मंजूरी में प्रशासनिक देरी और परिणामस्वरूप योजना के तहत धन जारी करने में देरी के कारण हुई।

(VI) एक मद में ₹355.20 लाख की बचत हुई, जो स्वीकृत प्रावधान का 83 प्रतिशत है।

2. अनुदान के पूंजीगत खंड में बचतें निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत हुई :-

शीर्ष	Head	
मुख्य शीर्ष “4070”	Major Head “4070”	
अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय	Capital Outlay on Other Administrative Services	
मू.	O.	14629.00
पु.	R.	-8610.03

(I) तीन शीर्षों के तहत ₹502.60 लाख का प्रावधान पूरी तरह अप्रयुक्त रहा।

(II) “प्रशिक्षण – राष्ट्रीय कौशल प्रशिक्षण संस्थान” के तहत – ₹6667.28 लाख की बचत (₹11629.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान के मुकाबले) मशीनरी और उपकरणों की अनुपलब्धता और कार्यान्वयन एजेंसी द्वारा सिविल कार्यों की धीमी गति, मशीनरी और उपकरणों की खरीद के प्रस्ताव को मूर्त रूप नहीं दिए जाने के कारण हुई।

(III) “अन्य व्यय – सचिवालय – कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय” के तहत – राष्ट्रीय भवन निर्माण निगम से बिल न मिलने के कारण ₹2006.00 लाख (₹3000.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) की बचत हुई।

Governments under the scheme and administrative delay in approval of scheme under “Skill India Programme” and consequent delay in release of funds under the scheme.

(VI) Under one head saving of ₹355.20 lakhs occurred constituting 83 percent of the sanctioned provision.

2. In the capital section of the grant, savings occurred under the following major head:-

कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving - (लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)
6018.97	5955.72	-63.25

(I) Provision of ₹502.60 lakhs remained wholly unutilized under three heads.

(II) Under “Training - National Skill Training Institute” - saving of ₹6667.28 lakhs (against the sanctioned provision of ₹11629.00 lakhs) was due to non-materialisation of proposal for procurement of machinery and equipment owing to its unavailability and slow pace of civil works by implementing agency.

(III) Under “Other Expenditure - Secretariat - Ministry of Skill Development and Entrepreneurship” - saving of ₹2006.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹3000.00 lakhs) was due to non-receipt of bills from National Building Construction Corporation.